



कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, धरमजयगढ़

रायगढ़ रोड़, धरमजयगढ़, जिलारायगढ़ [छ.ग.—496116]

Email – dfo_dharamjaigarh@rediffmail.com Phone&Fax :07766-266599,07766-266739

क्रमांक /मा.चि./ 2725
प्रति,

धरमजयगढ़, दिनांक 08/07/2025

महाप्रबंधक,
जियो डिजिटल फाईबर प्रा.लि. चौथी मंजिल,
आफिस नं. 401-405, अजुंबा मॉल, रायपुर

स्मरण पत्र क्र. 10

विषय :- रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वनमण्डल, अन्तर्गत वनसंरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत वनभूमि के गैरवानी की उपयोग हेतु जियो डिजिटल फाईबर प्रा.लि. द्वारा Laying of OFC along with RoW (Road Corridor) under Network strengthening and Providing Connecting to Rural Areas in Raigarh District of CG हेतु क्षेत्रफल 2.173 हे. के संबंध में। पंजीयन क्रमांक :-FP/CG/PFC/152142/2022

संदर्भ :-
1. मुख्य वनसंरक्षक बिलासपुर वृत्त बिलासपुर का पत्र क्र./तक/8050 दिनांक 14.11.2024
2. इस कार्यालय का पत्र क्र./मा.चि./1409 दिनांक 04.03.24, क्र. 1916 दिनांक 02.04.24 क्र./5333 दिनांक 05.07.24, क्र./3826 दिनांक 23.07.24, क्र./5294 दिनांक 14.11.2024 क्र./5390 दिनांक 20.11.24 एवं क्र./184 दिनांक 23.01.2025, क्र./957 दिनांक 28.02.2025, क्र./1766 दिनांक 29.04.2025 एवं क्र./2635 दिनांक 02.07.2025
3. आपका पत्र दिनांक 14.05.2025

-----0-----

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि, आपके संस्थान द्वारा धरमजयगढ़ वनमण्डल अन्तर्गत जियो डिजिटल फाईबर प्रा.लि. द्वारा Laying of OFC along with RoW (Road Corridor) under Network strengthening and Providing Connecting to Rural Areas in Raigarh District of CG हेतु क्षेत्रफल 2.173 हे. वनभूमि का गैर-वानी की उपयोग हेतु वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है। अ.प्र.मु.व.सं. (भू-प्रबंध) रायपुर के पत्र क्र./भू-प्रबंध/विविध/ एल.एम.-115-718 पार्ट 2 /606 दिनांक 29.02.2024 द्वारा भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु 1.00हे. से अधिक के प्रकरणों में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु बाध्यता है एवं छूट नहीं दी गई है निर्देश प्राप्त हुआ है। इस संबंध में आपको कई बार लेख किये जाने पर भी आपके द्वारा प्रकरण में किसी प्रकार की रुचि नहीं ली जा रही है और न ही किसी प्रकार का पत्राचार किया जा रहा है।

संदर्भित पत्र क्र. 01 के माध्यम से यदि आवेदक संस्थान किसी प्रकार का रुचि नहीं लिया जा रहा है तो पंजीयन निरस्त करने हेतु निर्देश दिया गया है।

अतः आपको पुनः लेख किया जाता है कि, प्रकरण में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र हेतु गैरवनभूमि का चयन कर डी.जी.पी.एस. रिपोर्ट एवं संबंधित प.अ. से सिंचित वृक्षारोपण परियोजना तैयार कराकर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। अन्यथा पंजीयन निरस्तीकरण प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित किया जावेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

वनमंडलाधिकारी

धरमजयगढ़ वनमंडल

पृ. क्रमांक/मा.चि./2025/ 2726

/धरमजयगढ़, दिनांक 08/07/2025

प्रतिलिपि :- 1. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) नवा रायपुर छ0ग0 की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. मुख्य वनसंरक्षक बिलासपुर वृत्त बिलासपुर छ0ग0 की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

वनमंडलाधिकारी

धरमजयगढ़ वनमंडल